संख्या: 25/2015/423/छप्पन-15-2/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2015**

विषय: राजकीय हवाई पट्टी, चित्रकूट के विस्तार/उच्चीकरण प्रायोजना हेतु भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1249-50/ना0उ0नि0/एएस-105बी/14, दिनांक 16-03-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में लिये गये निर्णयानुसार राजकीय हवाई पट्टी, चित्रकूट के विस्तार/उच्चीकरण के लिए आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय हेतु शासनादेश संख्या-555/छप्पन-13-2/13, दिनांक 29-8-2013 एवं शासनादेश संख्या-1573/छप्पन-13-2/13, दिनांक 20-11-2013 द्वारा रू0 8,00,43,679/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि स्वीकृत धनराशि रू0 8,00,43,679/- में से रू0 6,55,42,879/- की धनराशि अभी तक अप्रयुक्त है, जो जिलाधिकारी चित्रकूट के रेवेन्यू डिपाजिट में जमा है। आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु 63-269 हे0 वन भूमि भी प्राप्त की जानी है। उक्त भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गयी है। सम्प्रति इस भूमि को प्राप्त करने हेतु वन विभाग के पक्ष में एडहॉक कैम्पा में रू0 6,78,60,203/- जमा करने की आवश्यकता बतायी गयी है। इस प्रकार वन विभाग के एडहॉक कैम्पा में जमा करने के लिए जिलाधिकारी, चित्रकूट को उनके रेवेन्यू डिपाजिट में जमा धनराशि रू0 6,55,42,879-00 के अतिरिक्त रू0 23,17,324-00 की धनराशि स्वीकृत कर उपलब्ध करायी जानी है। तदनुसार रू0 23,17,324-00 की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

2- आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय राजकीय हवाई पट्टी, चित्रकूट के विस्तार/ उच्चीकरण हेतु भूमि की व्यवस्था के लिए चालू वित्तीय वर्ष में वन विभाग के एडहॉक कैम्पा में जमा करने हेतु तृतीय किस्त के रूप में रू0 23,17,324-00 अर्थात सुगमांक में रूपये 23,17,000-00 (रूपये तेईस लाख सत्रह हजार) मात्र जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखे जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते है।

3- पूर्व की भॉति स्वीकृति धनराशि आहरित कर जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखी जायेगी और यथावश्यकता व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी भिन्न मदों/प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार एवं सुसंगत नियमों के अधीन ही भुगतान की जायेगी।

5- उक्त धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया जायेगा।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 25/2015/423(1)/छप्पन-14-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा),उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/चित्रकूट।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यापित अधिकारी, चित्रकूट।
6- निदेशक, भूमि अध्यापित राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ/प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-4
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।